



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या-36 (लो0सू0अ0)/2022-23

Shri Shishir Chand, D 50C, 1st Floor, Chattarpur Enclave, New Delhi-110074

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
01.08.2022	Shri Shishir Chand, D 50C, 1st Floor, Chattarpur Enclave, New Delhi-110074 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-25.07.2022 इस कार्यालय में दिनांक-29.07.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अपीलकर्ता Shri Shishir Chand ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-31.05.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा मामला लोक सूचना पदाधिकारी, राँची विश्वविद्यालय से संबंधित होने के कारण वहाँ के लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी सूचना अपीलार्थी को ज्ञापांक-164 दिनांक-09.06.2022 के माध्यम में प्रपत्र 'ड' में भेजी जा चुकी है। उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-02.02.2022 की प्रति भी संलग्न नहीं की है। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/- (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। विदित हो कि मामला राँची विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो झारखंड राज्य के अन्तर्गत है, अतः अपीलार्थी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना अपील दायर किया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्राप्त प्रथम अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें।	

विशेष कार्य पदाधिकारी

—सह—

प्रथम अपीलीय प्राधिकार

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

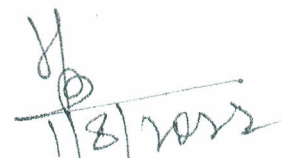
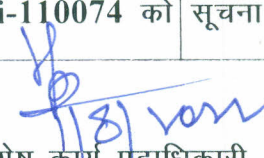
राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या-36 (लो0सू0अ0)/2022-23

Shri Shishir Chand, D 50C, 1st Floor, Chattarpur Enclave, New Delhi-110074

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
01.08.2022	Shri Shishir Chand, D 50C, 1st Floor, Chattarpur Enclave, New Delhi-110074 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-25.07.2022 इस कार्यालय में दिनांक-29.07.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अपीलकर्ता Shri Shishir Chand ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-31.05.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा मामला लोक सूचना पदाधिकारी, राँची विश्वविद्यालय से संबंधित होने के कारण वहाँ के लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी सूचना अपीलार्थी को ज्ञापांक-164 दिनांक-09.06.2022 के माध्यम में प्रपत्र 'ड' में भेजी जा चुकी है। उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-02.02.2022 की प्रति भी संलग्न नहीं की है। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/- (दस रुपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। विदित हो कि मामला राँची विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो झारखंड राज्य के अन्तर्गत है, अतः अपीलार्थी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना अपील दायर किया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्राप्त प्रथम अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें।  विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	
ज्ञापांक- 979/रा०सू० (iii)	दिनांक- 02-08-2022	
प्रतिलिपि:- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ Shri Shishir Chand, D 50C, 1st Floor, Chattarpur Enclave, New Delhi-110074 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  विशेष कार्य पदाधिकारी		